



Neutral Citation No. - 2026:AHC:51109-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 964 वर्ष 2024

भारत संघ, माध्यम से महाप्रबंधक एवं 3 अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

संजीव कुमार एवं एक अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता

: सौमित्र सिंह

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: आशीष कुमार श्रीवास्तव, सुनील

मुख्य न्यायमूर्ति की न्यायपीठ

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. प्रस्तुत रिट याचिका केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इलाहाबाद पीठ, इलाहाबाद द्वारा पारित दिनांक 13.10.2023 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा अधिकरण ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर मूल आवेदन (ओ.ए.) को स्वीकार करते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी द्वारा क्रमशः पारित दिनांक 24.06.2021 एवं 09.09.2021 के आदेशों को निरस्त कर दिया तथा याचिकाकर्तागण को निर्देशित किया कि वे प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से पंद्रह दिवस के भीतर प्रत्यर्थी को सेवा में पुनः स्थापित करें तथा दो माह के भीतर वेतन, भत्ते आदि सहित समस्त आनुषंगिक लाभ प्रदान करें। इसके पश्चात याचिकाकर्तागण को यह स्वतंत्रता भी प्रदान की गई कि वे प्रत्यर्थी को अवसर प्रदान करते हुए विधि के अनुसार पुनः (डी-नोवो) विभागीय जांच संपन्न करें।

2. उक्त मूल आवेदन दिनांक 24.06.2021 के दंडादेश तथा दिनांक 09.09.2021 के अपीलीय आदेश के विरुद्ध दायर किया गया था, जिनके माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 1 को सेवा से पृथक कर दिया गया था तथा उसकी अपील अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दी गई थी।

3. मूल आवेदन इस अभिकथन के साथ दायर किया गया कि प्रत्यर्थी को अधिसूचना संख्या 01/2014 के अंतर्गत लिखित परीक्षा एवं अभिरुचि परीक्षण उत्तीर्ण करने के पश्चात सहायक

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लोको पायलट के पद पर चयनित किया गया था। उसे दिनांक 18.05.2015 को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया तथा उसने संतोषजनक सेवा प्रदान की, जिसके फलस्वरूप उसे दिनांक 09.08.2018 को वरिष्ठ सहायक लोको पायलट लेवल-IV के पद पर पदोन्नत किया गया।

4. तत्पश्चात दिनांक 03.09.2020 को अचानक प्रत्यर्थी को एक कारण बताओ नोटिस प्रदान किया गया, जिसमें भारतीय रेल में आर.आर.बी./आर.आर.सी. से आजीवन प्रतिबंध का प्रस्ताव था। प्रत्यर्थी द्वारा उसका उत्तर प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 21.10.2020 के आदेश द्वारा उसे निलंबित कर दिया गया तथा उसे रेलवे सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1968 (नियम, 1968) के नियम 9 के अंतर्गत आरोप-पत्र प्रदान किया गया।

5. आरोप-पत्र के प्रत्युत्तर में प्रत्यर्थी द्वारा आरोपों का खंडन किया गया। तत्पश्चात जांच अधिकारी नियुक्त किया गया एवं विभागीय जांच प्रारंभ की गई। जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 25.02.2021 को अपनी जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। आरोप है कि दिनांक 26.04.2021 को प्रत्यर्थी को नियम, 1968 के अंतर्गत जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराए बिना तथा प्रत्युत्तर का अवसर दिए बिना सेवा से पृथक कर दिया गया। अपील भी निरस्त कर दी गई, जिससे आहत होकर मूल आवेदन दायर किया गया।

6. अधिकरण ने पक्षकारों को सुनने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्थी को सेवा से पृथक करते समय न तो उन अभिलेखों की प्रतिलिपि प्रदान की गई, जिन पर निर्भर किया गया था और न ही उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने अथवा साक्षियों का प्रतिपरीक्षण करने का अवसर दिया गया। साथ ही यह भी पाया गया कि जांच निष्पक्ष ढंग से संपन्न नहीं की गई।

7. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन संबंधी उक्त निष्कर्षों एवं अवलोकनों के आधार पर मूल आवेदन स्वीकार किया गया तथा पूर्वोक्त निर्देश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

8. याचिकाकर्तागण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी की सेवा में पुनः स्थापना तथा वेतन, भत्ते आदि जैसे आनुषंगिक लाभ प्रदान करने का निर्देश देना न्यायसंगत नहीं है तथा इस सीमा तक आक्षेपित आदेश विधि विरुद्ध है।

9. इस संदर्भ में "दि इंस्पेक्टर ऑफ पंचायत्स एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सलेम बनाम एस. अरिचंद्रन एवं अन्य : ए.आई.आर. 2022 एस.सी 4611" के निर्णय पर निर्भरता व्यक्त की गई है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आक्षेपित आदेश का समर्थन किया गया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सेवा में पुनः स्थापना एवं आनुषंगिक लाभ प्रदान किए जाने संबंधी आपत्ति का कोई आधार नहीं है, क्योंकि जब दंडादेश एवं अपीलीय आदेश निरस्त कर दिए गए, तब पुनः स्थापना एक स्वाभाविक परिणाम है।

11. यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थी को पुनः सेवा में स्थापित किए बिना नियम, 1968 के अंतर्गत पुनः जांच संचालित नहीं की जा सकती, अतः इस संबंध में उठाया गया आपत्ति का कोई औचित्य नहीं है। यह भी निवेदन किया गया कि समान परिस्थितियों में, समान भर्ती से संबंधित प्रकरण में, पटना उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 7341 वर्ष 2024 (अमित कुमार एवं 16 अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य तथा अन्य संबद्ध रिट याचिकाएँ), दिनांक 06.02.2025 को निर्णीत, मैं अधिकरण द्वारा मूल आवेदन निरस्त किए जाने के आदेश को उलटते हुए समान राहत प्रदान की गई, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी संख्या 34374 वर्ष 2025, दिनांक 01.08.2025 को पारित कारणयुक्त आदेश द्वारा यथावत रखा गया; अतः याचिकाकर्तागण द्वारा उठाया गया तर्क निराधार है।

12. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

13. वर्तमान रिट याचिका में एकमात्र चुनौती अधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी को प्रदत्त राहत से संबंधित है, जिसमें दंडादेश एवं अपीलीय आदेश को निरस्त करते हुए सेवा में पुनः स्थापना तथा वेतन, भत्ते आदि जैसे आनुषंगिक लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

14. याचिकाकर्तागण के तर्कों का मुख्य आधार "दि इंस्पेक्टर ऑफ पंचायत्स एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सलेम (उपरोक्त)" का निर्णय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम रजित सिंह : 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 341" तथा "भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष एवं अन्य बनाम ए. मसिलामणि : (2013) 6 एस.सी.सी. 530" के निर्णयों पर आधारित यह अवलोकन किया गया कि उच्च न्यायालय को प्रकरण को अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष उस स्तर से पुनः जांच हेतु प्रेषित करना चाहिए था जहाँ से जांच अवैध हुई थी तथा जब न्यायालय दंडादेश को इस आधार पर निरस्त करता है कि

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जांच विधिवत संपन्न नहीं हुई, तब कर्मचारी को सीधे सेवा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता।

15. उक्त अवलोकनों को, जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपर्युक्त निर्णयों में किए गए हैं, याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता द्वारा प्रसंग से पृथक कर प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने प्रत्यर्थी (मूल याचिकाकर्ता) को सेवा में पुनः स्थापित करने तथा बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया था, जबकि उस स्तर से पुनः जांच कराने का कोई निर्देश नहीं दिया गया था जहाँ से जांच अवैध हुई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अवलोकन किए गए थे:-

"6.2 इस न्यायालय द्वारा उपर्युक्त निर्णयों में प्रतिपादित विधि को वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू करते हुए, तथा यह देखते हुए कि सेवा से बर्खास्तगी का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर निरस्त किया गया है, उच्च न्यायालय को यह अपेक्षित था कि वह संबंधित प्रकरण को अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष उस अवस्था से पुनः विचारार्थ प्रत्यावर्तित करता, जहाँ से कार्यवाही विधि विरुद्ध हो गई थी, तथा अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन की प्रति दोषारोपित कर्मचारी को उपलब्ध कराते हुए उसे उक्त प्रतिवेदन पर अपना अभिमत/आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विधि के अनुसार जांच कार्यवाही पूर्ण की जाती।

7. उपर्युक्त के दृष्टिगत तथा उपर्युक्त कारणों से, वर्तमान अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ तथा विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा पारित वे निर्णय एवं आदेश, जिनके द्वारा प्रत्यर्थी-कर्मचारी की पुनः स्थापना तथा बकाया वेतन (बैक वेजेज) प्रदान करने का निर्देश दिया गया था, एतद् द्वारा निरस्त एवं अपास्त किए जाते हैं। संबंधित प्रकरण को अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उस अवस्था से जांच कार्यवाही पुनः संचालित करे जहाँ से वह विधि विरुद्ध हो गई थी तथा जांच अधिकारी की प्रतिवेदन की प्रति दोषारोपित कर्मचारी को उपलब्ध कराते हुए, उसे उक्त प्रतिवेदन पर अपना अभिमत/आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विधि के अनुसार जांच कार्यवाही को पूर्ण करे। उक्त समस्त कार्यवाही आज

से छह माह की अवधि के भीतर संपन्न की जाएगी। तथापि, साथ ही यह तथ्य अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दृष्टिगत रखते हुए कि पूर्व में भी सेवा से पृथक्करण का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर निरस्त किया गया था तथा प्रकरण को पुनः प्रत्यावर्तित किया गया था, और तत्पश्चात् पुनः पारित नया बर्खास्तगी आदेश भी पुनः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, जिसके कारण प्रकरण को पुनः प्रत्यावर्तित किया जा रहा है, हम वर्तमान अपील को लागत सहित स्वीकार करते हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी-दोषारोपित कर्मचारी को पचास हजार रुपये की लागत अदा की जाएगी, जिसका भुगतान आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा।

तदनुसार, वर्तमान अपील उपर्युक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है।"

16. उक्त अवलोकनों से यह स्पष्ट है कि न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया कि उच्च न्यायालय को प्रकरण को अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष उस स्तर से पुनः जांच हेतु प्रेषित करना चाहिए था जहाँ से जांच अवैध हुई थी तथा जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए एवं अभियुक्त कर्मचारी को अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए उसके उपरांत विधि के अनुसार अंतिम आदेश पारित किया जाना चाहिए था।

17. यह तर्क कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवलोकन किया गया है कि पुनः स्थापना नहीं की जा सकती, सेवा विधि के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है, क्योंकि सेवा नियमों के अंतर्गत विभागीय जांच केवल किसी सेवारत कर्मचारी के विरुद्ध ही संचालित की जा सकती है। अनुशासनिक प्राधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों के निरस्तीकरण का स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि कर्मचारी को पुनः सेवा में स्थापित किया जाए, तथा जब पुनः जांच (डी-नोवो) का आदेश दिया गया है, तब पुनः स्थापना के अभाव में ऐसी जांच संचालित ही नहीं की जा सकती।

18. इसी प्रकार की स्थिति "ए. मसिलामणि (उपरोक्त)" के प्रकरण में भी थी, जहाँ दंडादेश को निरस्त करते हुए केवल पुनः स्थापना का ही आदेश प्रदान किया गया था।

19. समान परिस्थितियों में, समान विवाद से संबंधित प्रकरण में, पटना उच्च न्यायालय ने अनेक समान स्थिति वाले याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"7. इस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने एक ऐसा मामला स्थापित किया है जिससे अधिकरण के दिनांक 21.02.2024 के आदेश तथा सेवा से पृथक्करण के आदेशों में हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है; तदनुसार उन्हें निरस्त किया जाता है।

8. प्रकरण को अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह नियम, 1968 का कठोरता से पालन करते हुए नवीन जांच प्रारंभ करे तथा इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर जांच कार्यवाही पूर्ण करे। संबंधित याचिकाकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे अनावश्यक स्थगन की मांग किए बिना अनुशासनिक कार्यवाही में सहयोग करें।

9. अनुशासनिक प्राधिकारी को यह निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को पुनः सेवा में स्थापित किया जाए अथवा उन्हें जांच लंबित रहने तक निलंबित रखा जाए, तथा सेवा से पृथक्करण की तिथि से नवीन जांच पूर्ण होने तक उन्हें निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाए, जिसका यथाशीघ्र निर्धारण एवं भुगतान किया जाए। साथ ही, पुनः स्थापना अथवा निलंबन की तिथि से लेकर नवीन जांच में अंतिम आदेश पारित होने तक की मध्यवर्ती अवधि का विनियमन विधि के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, जो अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा..."

20. उक्त आदेश के विरुद्ध जब भारत संघ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत की गई, तो उसे निरस्त करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"1. विलंब क्षम्य किया जाता है।

2. उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 06.02.2025 एवं 05.03.2025 के आक्षेपित निर्णय एवं आदेश याचिकाकर्ताओं को यह अपेक्षित करते हैं कि वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नवीन जांच संपन्न करें।

3. श्री बृजेन्द्र चाहर, विद्वान अपर महाधिवक्ता, ने यह चिंता व्यक्त की कि यदि उपर्युक्त प्रत्यर्थागण को पुनः सेवा में स्थापित किया जाता है, तो बकाया वेतन के संबंध में प्रश्न उत्पन्न होगा।

4. स्पष्टतः, याचिकाकर्ताओं को प्रत्यर्थागण को सेवा में पुनः स्थापित किए बिना जांच संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, तथापि यह केवल विधि के अनुसार जांच पूर्ण करने के सीमित उद्देश्य के लिए होगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. उच्च न्यायालय द्वारा यह सावधानी बरती गई है कि प्रत्यर्थागण के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाए, यह याचिकाकर्ताओं के विवेक पर निर्भर रहेगा। जांच लंबित रहने के दौरान प्रत्यर्थागण को निलंबित रखने का विकल्प सदैव उपलब्ध है।
6. हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं पाया जाता; उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ विशेष अनुमति याचिकाएँ निरस्त की जाती हैं।
7. लंबित प्रार्थना-पत्र, यदि कोई हो, निष्प्रभावी हो जाएंगे।"
21. वर्तमान प्रकरण में, अधिकरण द्वारा दंडादेश एवं अपीलीय आदेश को निरस्त करते हुए प्रत्यर्थी को पुनः सेवा में स्थापित करने के साथ-साथ वेतन, भत्ते आदि सभी आनुषंगिक लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया गया है, जबकि पटना उच्च न्यायालय ने भिन्न दृष्टिकोण अपनाते हुए विभाग को यह स्वतंत्रता प्रदान की थी कि वह पुनः स्थापना के उपरांत कर्मचारियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के संबंध में निर्णय ले।
22. हमारे विचार में, पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश संतुलित हैं, जबकि वर्तमान प्रकरण में अधिकरण द्वारा बिना किसी सीमांकन के पूर्ण वेतन एवं भत्तों सहित समस्त आनुषंगिक लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि पटना उच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कारणयुक्त आदेश के माध्यम से अनुमोदित किया गया है; अतः आवश्यक है कि वर्तमान प्रकरण में दिए गए निर्देशों में उपयुक्त संशोधन किया जाए।
23. फलस्वरूप, रिट याचिका **आंशिक रूप से स्वीकार** की जाती है तथा अधिकरण द्वारा पारित आदेश को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि याचिकाकर्तागण प्रत्यर्थी को सेवा में पुनः स्थापित करेंगे।
24. अनुशासनिक प्राधिकारी को यह स्वतंत्रता होगी कि वह नियम, 1968 का कठोरता से पालन करते हुए पुनः (डी-नोवो) जांच संचालित करे तथा इस आदेश की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर जांच कार्यवाही पूर्ण करे।
25. प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह अनुशासनिक कार्यवाही में अनावश्यक स्थगन की मांग किए बिना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। अनुशासनिक प्राधिकारी प्रत्यर्थी की पुनः स्थापना के उपरांत उसकी स्थिति के संबंध में निर्णय लेगा कि उसे सेवा में बनाए रखा जाए अथवा निलंबित किया जाए तथा सेवा से पृथक्करण की तिथि से लेकर नवीन जांच पूर्ण होने तक की

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अवधि हेतु निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाए, जिसका यथाशीघ्र निर्धारण एवं भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पुनः स्थापना अथवा निलंबन की तिथि से लेकर नवीन जांच में अंतिम आदेश पारित होने तक की मध्यवर्ती अवधि का विनियमन विधि के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा तथा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश क्या होता है।

26. पुनः जांच के संबंध में निर्णय याचिकाकर्तागण द्वारा आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर लिया जाएगा। यदि उक्त अवधि के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो यह माना जाएगा कि याचिकाकर्तागण पुनः जांच संचालित करने के इच्छुक नहीं हैं। साथ ही, पुनः जांच प्रारंभ किए जाने की स्थिति में, सेवा से पृथक्करण की तिथि से लेकर पुनः स्थापना की तिथि तक के बकाया वेतन/निर्वाह भत्ते की राशि का भुगतान जांच प्रारंभ होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

दिनांक : 12 मार्च 2026

एन.डी.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।